# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 42/2022

अनवान : –

1. गुड्डी देवी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा त0 नोहर

–प्रार्थीया

बनाम्

1. साजन कुमार पुत्र शंकरराम जाति जाट निवासी रतनपुरा त0 नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री रविन्द्र गोदारा **प्रार्थीया**
**श्री सुबोध शर्मा अप्रार्थी**

**निर्णय** दिनांक: 28·12·2022

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता सं0 50/97 के मु0नं0 78 के किला नं0 4/1 , 4/2, 7, 14 की कुल 0.759 है0 खातेदारी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता सं0 100/155 के मु0 नं0 79 के किला नं0 17, 23, 24 की कुल 0.759 है0 खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 साजन कुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवगमन हेतु अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी के किला नं0 24 के मिन पूर्व तथा किला नं0 17 के मिन पूर्व से होते हुए प्रवेश करती है, उक्त रास्ता प्रार्थीया के लिए सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी में प्रवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है। तथा खाता विभाजन के समय अप्रार्थी सं0 1 को रास्ता की भूमि के बदले भूमि प्रार्थीया द्वारा पहले ही दे दी गई है। इस प्रकार प्रार्थीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग –उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने इकबाल जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी स0 2 द्वारा जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता का उपयोग करती है। इसके अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:36 IST
Reason: SelfAttested

है। रास्ता की एवज की भूमि के बदले अप्रार्थी को पहले ही भूमि दे दी गई है जो अप्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता स0 100/155 के मु0न0 79 के किला न0 24 के मिन पूर्व 0.013 हैक्टयर व किला न0 17 मिन पूर्व की 0.013 हैक्टयर भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन है। जिस पर वकील अप्रार्थी ने सहमति प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता सं0 50/97 के मु0नं0 78 के किला नं0 4/1 , 4/2, 7, 14 की कुल 0.759 है0 खातेदारी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता स0 100/155 के मु0न0 79 के किला न0 24 के मिन पूर्व 0.013 हैक्टयर व किला न0 17 मिन पूर्व की 0.013 हैक्टयर भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। जिसके लिए अप्रार्थी ने इकबाल दावा तथा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सहमति प्रकट की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता स0 100/155 के मु0न0 79 के किला न0 24 के मिन पूर्व 0.013 हैक्टयर व किला न0 17 मिन पूर्व की 0.013 हैक्टयर भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:36 IST
Reason: SelfAttested